



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1934/MP/5/2023-ESDW

दिनांक: 27.11.2024

श्री ऋषव गुप्ता,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला देवास,
कलेक्टर कार्यालय,
देवास, मध्य प्रदेश-455001,
ई-मेल: dmdewas@nic.in
फोन नं. 07272-252111

श्री सम्पत उपाध्याय,
पुलिस अधीक्षक,
जिला-देवास,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
उज्जैन चौराहा, ए. बी. रोड,
देवास, मध्य प्रदेश-455001,
ई-मेल: spdewas07272@gmail.com
फोन नं. 07272-226110

विषय: गैर आदिवासी द्वारा गरीब आदिवासी कि भूमि पर कब्जा किया जाने के संबंध में श्री रमेश, पिता बाबू लाल, ग्राम-हतनौरी, तहसील-कन्नोद, जिला देवास, मध्य प्रदेश की और से दिनांक 20.06.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 03.07.2023.

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 21.05.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 04.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1934/MP/5/2023-ESDW

दिनांक: 27.11.2024

श्री रमेश,
पिता बाबू लाल,
ग्राम-हतनौरी,
तहसील-कन्नोद,
जिला देवास,
मध्य प्रदेश

विषय: गैर आदिवासी द्वारा गरीब आदिवासी कि भूमि पर कब्जा किया जाने के संबंध में श्री रमेश, पिता बाबू लाल, ग्राम-हतनौरी, तहसील-कन्नोद, जिला देवास, मध्य प्रदेश की ओर से दिनांक 20.06.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 04.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।